न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./150/2024

1. रतनी पत्नी गोगाराम जाति कुमावत निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी(फोत) वारिस

1/1 मुकेश पुत्र गोगाराम (रतनी) जाति कुमावत निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. उगमा पुत्र हरदेव जाति बैरवा निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. नोरत पुत्र रामकरण जाति कुम्हार निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. रामदेव पुत्र रामकरण जाति कुम्हार निवासी कुरथल तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–31.07.2024

उपस्थित– 1. वकील प्रार्थी– श्री राहुल आचार्य
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा कुरथल पटवार क्षेत्र कुरथल भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता सं0 465 में दर्ज खसरा नं. 2018 रकबा 0.17, खसरा नं. 2019 रकबा 0.29, खसरा नं. 2054/2987 रकबा 0.12 कुल किता 03 कुल रकबा 0.58 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 03 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 04 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब सरकार पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित किया है कि प्रश्नगत आराजी के खातेदार रतनी पत्नी गोगाराम की मृत्यु हो चुकि है तथा प्रार्थी मुकेश पुत्र गोगाराम(रतनी) द्वारा रतनी के एकमात्र वारिस बताते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 भू0रा0अधिनियम मय शपत–पत्र पेश किया है। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी मुकेश पुत्र गोगाराम(रतनी) द्वारा अपनी माता रतनी का

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

एकमात्र वारिस बताते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 भू0रा0अधिनियम वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम कुरथल के खाता संख्या 465 संवत 2072–2075(वर्ष 2019 में रथाई) में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय शपत–पत्र के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की माता की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली अन्तर्गत धारा 128 रा0का0अधिनियम मय शपथ–पत्र, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा कुरथल पटवार क्षेत्र कुरथल भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता सं0 465 में दर्ज खसरा नं. 2018 रकबा 0.17, खसरा नं. 2019 रकबा 0.29, खसरा नं. 2054/2987 रकबा 0.12 कुल किता 03 कुल रकबा 0.58 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार देवलियांकलां को 500/– रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। वाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी)

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)